राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय आर.ए.एस

राजस्व वाद :– 12/2019

तारीख दायर :'– 18/06/2016

**वादीगण :–**

1.कालू सिंह पुत्र जसा उर्फ जसवन्तसिंह जाति–रावणा राजपूत, निवासी–कोट सोलंकीयान तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज)

**प्रतिवादीगण :–**

1. खीमसिंह पुत्र जसा उर्फ जसवन्तसिंह
2. दौलतसिंह पुत्र जसा उर्फ जसवन्तसिंह
3. अमरसिंह पुत्र जसा उर्फ जसवन्तसिंह
4. पारससिंह पुत्र जसा उर्फ जसवन्तसिंह
5. ओटी बाई पुत्री जसा उर्फ जसवन्तसिंह
6. चम्पा बाई पुत्री जसा उर्फ जसवन्तसिंह
7. लीला बाई पुत्री जसा उर्फ जसवन्तसिंह
   तमाम जातिगण–रावणा राजपूत, निवासीगण–कोट सोलंकीयान तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज)
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

प्रार्थना पत्र वास्ते निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2018 मे लिपिकीय त्रुटि को सुधार करने बाबत धारा 152 सीपीसी

उपस्थिति :–

1. श्री हुकमसिंह अधिवक्ता वादी/प्रार्थी

**निर्णय** **दिनांकः– 24.06.2019**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी राजस्व वाद संख्या 152/2016 के पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2018 मे लिपिकीय त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम कोट सोलंकियान तहसील देसूरी मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की सयुक्त खातेदारी की कब्जा एव काश्त सुदा कृषि भूमि आराजियात खसरा क्रमश 1163, 1164, 1209, 1247, 1253, 1253/1758, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263 कुल खसरा 11 कुल रकबा 4.56 हैक्टर लगान 65.22 विधमान है। जिसमे वादी की खातेदारी का कब्जा एवं काश्त सुदा 9/48 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं.1 का 9/48 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 9/48 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं 3 का 9/48 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 9/48 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

1/48 वा हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/48 वा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/48 वा हिस्सा विधमान है। वादग्रस्त आराजियात का निर्णय वाद संख्या 152/2016 निर्णय दिनांक 18.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 को केम्प कोर्ट कोट सोलंकियान मे निर्णय दिनांक 18.06.2018 को पारित किया गया। निर्णय एवं डिक्री मे लिपिकीय त्रुटिवश खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम का इन्द्राज भूलवश लिपिकिय त्रुटि से नही किया गया है। बाकी सभी खसरा नम्बर सही है। उक्त ख.न. 1247 का इन्द्राज निर्णय व डिक्री मे किया जावे हुई लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी मय अधिवक्ता प्रार्थी/वादी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के पेज नम्बर 01 की लाईन नम्बर 3 व पेज नम्बर 2 के लाईन नम्बर 3 में खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.1400 हैक्टर का इन्द्राज किया जावे व डिक्री पर्चा के लाईल नम्बर 7 मे खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.1400 हैक्टर का इन्द्राज कर लिपिकीय त्रुटि का सुधार जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ मूल वाद पत्रावली को प्रार्थना पत्र के संलग्न किया गया। एव मूल पत्रावली मय पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पारित निर्णय एवं डिक्री मे वर्णित लिपिकीय त्रुटि होना जाहिर होता है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 152 सीपीसी प्रार्थना पत्र के प्रावधान अनुसार न्यायालय द्वारा वाद सं. 152/2016 के अनवान कालूसिंह बनाम खीमसिंह वगैरह ग्राम कोट सोलंकियान मे पारित निर्णय मे दिनांक 18.06.2018 के पेज नम्बर 01 की लाईन नम्बर 3 व पेज नम्बर 2 के लाईन नम्बर 3 मे लिपिकीय त्रुटि की दुरूस्ती संशोधन किया जाकर खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम का इन्द्राज किये जावे एवं डिक्री पर्चा के लाईन नम्बर 07 मे खसरा नम्बर 1247 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम का इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश को निर्णय दिनांक 18.06.2018 के संलग्न किया जावे। तहसीलदार देसूरी तदनुसार पालना कर बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इज्लास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी